न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04 / 2019
प्रविष्टि दिनांक 13.12.2019

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा

—प्रार्थी

बनाम

1—इब्राहिम पुत्र छोटू खां जाति बनजारा निवासी लक्ष्मीपुरा (पीनणी) तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

2—शब्बीर पुत्र छोटू खां जाति बनजारा निवासी लक्ष्मीपुरा (पीनणी) तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

—प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :— (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक अप्रार्थीगण

अभिशंषा दिनांक 17.01.2020

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 402 रकबा 240 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम श्योपुर तहसील मालपुरा मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 मे गै0मु0 नदी भूमि दर्ज है। यह रकबा भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 10.11.1984 को रकबा 1 बीघा जुम्मा के नाम आवण्टित किया गया जिस पर दिनांक 10.06.1985 को जरिए नामान्तरकरण सं0 248 से गैर खातेदारी दी गई एंव दिनांक 30.06.1986 से नामान्तारकरण सं0 261 के द्वारा खातेदारी दर्ज की गई। विवादित उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 402 / 19 रकबा 1 बीघा नामान्तकरण संख्या 429 से कालूराम पुत्र रामाजी जाति भाट निवासी पीनणी को एंव नामान्तकरण संख्या 506 से कालूराम भाट ने उक्त भूमि इब्राहिम,शब्बीर पुत्र छोटू खां जाति बनजारा निवासी बंजारा ढाणी तन पीनणी लक्ष्मीपुरा के नाम जरिये विक्रय पत्र खातेदार के नाम स्वीकार हुआ एंव जरिये नागान्तकरण संख्या 512 से खाता राहिन बैंक ऑफ बडोदा शाखा मालपुरा मूर्त स्वीकार हुआ है। नकल जमाबंदी सम्वंत 2066—2069 वाके ग्राम श्योपुर मे अकिंत नोट अनुसार खसरा नम्बर 402 / 19 रकबा 1 बीघा भूमि इब्राहिम,शब्बीर पुत्र छोटू खां जाति बनजारा निवासी बनजारो की ढाणी तन पीनणी (लक्ष्मीपुरा) तहसील मालपुरा की खातेदारी मे दर्ज है। तहसीलदार मालपुरा ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आवण्टन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल जनहित याचिका सं0 1536 / 03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2—8—2004 की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन एंव भरे गये नामान्तरकरण सं0 248,261,429,506 व 512 को निरस्त करने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। बहस राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि विवादित भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 नदी भूमि दर्ज है एवं भूमि का आकार नदी दर्ज थी, उक्त नदी भूमि होने के कारण आवण्टन किया जाना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरे गये नामान्तकरण संख्या 248 गेर खातेदारी एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 261 तथा 429,506 तथा 512 निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दोराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 402/19 रकबा 1 बीघा कालूराम पुत्र रामाजी जाति भाट से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 18.04.2011 से क्रय की है। भूमि मौके पर गै0मु0 नदी नही है,काबिल काश्त है। उक्त आवंटन पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है तथा धारा 16 राज0 टी0एक्ट के प्रावधान भी इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। भूमि की किस्म बारानी–3 होने से अप्रार्थी (जुम्मा)को पहले गैर खातेदारी प्रदान की गई बाद मे खातेदारी दी गई है। उसके उपरान्त प्रार्थी ने क्रय की है। आवंटन बारानी भूमि का किया गया है। आवंटन 30 वर्ष पुराना है तथा खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है।राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 कि धारा 16 मे बारानी–3 भूमि को आवंटन करना निषेध नही माना गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं

राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में साबिक खसरा नम्बर 402 गै0मु0 नदी भूमि दर्ज है। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 10.11.1984 को 1 बीघा भूमि जुम्मा पुत्र बोदू जाति मुसलमान बंजारा निवासी लक्ष्मीपुरा के नाम आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में जुम्मा को दिनांक 10.06. 1985 को जरिए नामान्तकरण सं0 248 गेर खातेदारी एंव दिनांक 30.06.1986 को नामान्तरकरण सं0 261 के द्वारा खातेदारी अधिकार दे दिये गये। विवादित उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 402/19 रकबा 1 बीघा नामान्तकरण संख्या 429 से कालूराम पुत्र रामाजी जाति भाट निवासी पीनणी को एंव नामान्तकरण संख्या 506 से कालूराम भाट ने उक्त भूमि इब्राहिम,शब्बीर पुत्र छोटू खां जाति बनजारा निवासी बंजारा ढाणी तन पीनणी लक्ष्मीपुरा के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

नाम जरिये विक्रय पत्र खातेदार के नाम स्वीकार हुआ एंव जरिये नामान्तकरण संख्या 512 से खाता राहिन बैंक ऑफ बडोदा शाखा मालपुरा मूर्त स्वीकार हुआ है।

अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 402/19 रकबा 2 बीघा कालूराम पुत्र रामाजी जाति भाट से अप्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 18.04.2011 से क्रय की है। भूमि मौके पर गै0मु0 नदी नही है।

चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 नदी दर्ज होने से सार्वजनिक सम्पदा थी जुम्मा ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी एंव बाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 10.11.1984 को विवादित भूमि जुम्मा के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि जुम्मा पुत्र बोदू जाति मुसलमान बंजारा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मालपुरा को प्रकरण संख्या 36/1984 दिनांक 10.11.1984 द्वारा खसरा नम्बर 402/12 रकबा 1 बीघा भूमि वाके ग्राम श्योपुर मे किया गया आवंटन तथा इस आदेश की पालना मे श्री जुम्मा के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 248 दिनांक 10.06.1985 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 261 दिनांक 30.06.1986 तथा अप्रार्थीगण व अन्य के पक्ष मे स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 429,506,512 को निरस्त कर हाल आराजी खसरा नम्बर 402/19 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम श्योपुर को पुनः गै0मु0 नदी भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.19 15:25:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: